राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– ई–11/नर्सिग/नर्स–2/आर–679/18/ दिनांकः–

आदेश

श्री राकेश मित्तल, नर्स–2, सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर को दिनांक 18.05.18 से दिनांक 23.05.18 तक थाईलैण्ड विदेश भ्रमण हेतु जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगें।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगे।

–Sd–

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– ई–11/नर्सिग/नर्स–2/आर–679/18/605 दिनांकः– 08/05/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाईमाधोपुर को उनके पत्रांक 2598 दिनांक 03.05.18 के कम में।
3. सबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।